न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– तरुण कुमार सिंह–I––––––––––एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या – **113/2023**

रामसुन्दर त्रिवेदी आदि बनाम **कमलकान्त पाण्डेय**

दिनांक–12.08.2026

पत्रावली पेश हुयी। आवेदक की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक रामसुन्दर त्रिवेदी एवं एक अन्य द्वारा धारा 10, गार्जियन एवं वार्ड अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद संस्थित किया गया है।

न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2026 द्वारा आवेदक को प्रदेश–स्तरीय समाचार–पत्र में प्रकाशन की पैरवी किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 10.07.2026 को उक्त पैरवी हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आवेदक द्वारा आदेश के अनुपालन में कोई पैरवी नहीं की गयी तथा आज भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद के संचालन में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। अतः वाद के संचालन हेतु कोई पैरवी न किये जाने एवं आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद को निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद आवेदक की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार सचंयित हो।

दिनांकः–**12.08.2026**

(**तरुण कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.08.12 15:51:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court